



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12122022-241006  
CG-CG-E-12122022-241006

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5539]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 12, 2022/अग्रहायण 21, 1944

No. 5539]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 12, 2022/AGRAHAYANA 21, 1944

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 10 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 5775(अ).**—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989, (1989 का 24) की धारा 2 के खण्ड (37 ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसंरचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

सारणी

क्रम.सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित भिलाई नगर-दुर्ग लिंक केबिन (2.80 कि.मी.) के बीच एनर्जी कॉरिडोर (चैथी लाईन) परियोजना का निर्माण।

[फा. सं. डी.सी. ई/सी/आर/बी.क्यू.आर.-डी.एल.बी.एस./37ए]

एच. पी. त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS****(S.E.C. Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 10th December, 2022

**S.O. 5775(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following project as mentioned in Column (2) of the table below as Special Railway Project in the state of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date publication of this notification in the Official Gazette.

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Name of Project</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1.	Construction of Energy Corridor (4th line) project between Bhilai Nagar -Durg Link Cabin (2.80 km) situated in Chhattisgarh State.

[F. No. DCE/C/R/BQR-DLBS/37A]

H. P. TRIPATHI, Chief Administrative Officer (Construction)